छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा
द्वितीय सत्र

लेफ्टि.जन. के.एम. सेठ

पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.(से.नि.)

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 19 फरवरी, 2004

माननीय सदस्यगण,

नववर्ष 2004 में विधानसभा के इस पहले सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप सबको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि विगत सत्र और इस सत्र के बीच के अन्तराल में, छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। इस बीच देश के महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार पधारे और उन्होंने सदन में आप सभी को उद्‌बोधन देकर इस सदन का गौरव बढ़ाया। संभवतः देश की किसी भी विधानसभा के लिए यह पहला अवसर था कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे संबोधित किया। महामहिम ने समृद्ध भारत के मिशन 2020 के लक्ष्यों का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ में उपलब्ध संसाधनों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनने की संभावनाएं विद्यमान हैं तथा हमारी मेहनत और रणनीति से हमारा राज्य विकसित भारत का आधार बन सकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने राज्य के जनप्रतिनिधियों और आप सभी माननीय विधायकों पर ऊर्जावान नेतृत्व देने का विश्वास जताया है। मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति जी के विश्वास को संकल्प के रूप में ग्रहण करें।

2. विगत सत्र में मैंने छत्तीसगढ़ की दो करोड़ से अधिक जनता की आंखों में बसे सपनों को जमीनी सच्चाई में ढालने के लिए सरकार के संकल्पों का उल्लेख किया था। आज मैं कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार ने पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी और परिश्रम से इन संकल्पों को पूरा करने के उपाय शुरू किये हैं।

3. मेरी सरकार ने गांव, गरीब और किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करने को अपना पहला कर्तव्य माना है। इस दिशा में किये गये फैसलों और उनके क्रियान्वयन से किसान भाईयों के चेहरे में चमक और विश्वास की आभा देखी जा सकती है। सरकार ने किसानों को आर्थिक संकट और कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए जो पहला कदम उठाया, उससे 5 लाख से अधिक लघु और सीमांत किसानों के लगभग 150 करोड़ रूपये के कर्ज माफ हुए हैं। हर वर्ग के किसान भाईयों को बकाया सिंचाई कर की राशि का 60 प्रतिशत जमा करने पर शेष 40 प्रतिशत की छूट देने का फैसला भी लिया गया है। इस फैसले से लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।

4. किसानों को उनके खून–पसीने की मेहनत से उपजाई गई फसलों का पूरा दाम देने के लिए मेरी सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को दुरूस्त किया और लगभग 26 लाख टन से अधिक धान की खरीदी की। इससे किसानों के घरों में 1600 करोड़ रूपए से अधिक राशि के साथ खुशहाली भी पहुंची है। इतना ही नहीं धान खरीदी और उसकी मिलिंग को अधिक पारदर्शी बना कर सरकार पर आने वाले आर्थिक भार को कम करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इससे प्रदेश की सभी चावल मिलें अपनी पूरी क्षमता और तत्परता के साथ उत्पादन के कार्य में जुट गई हैं।

5. मेरी सरकार ने राज्य में 75 हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीति बनाई है। इसके तहत निर्माणाधीन 7 वृहद, 7 मध्यम और 522 लघु परियोजनाओं को पूर्ण करने में तेजी लाई जायेगी तथा अन्य पुरानी योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जायेगा।

6. राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने राजनांदगांव जिले की मोंगरा सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति दिलाने की पहल की थी। केन्द्र शासन के ताजा निर्णय से यह पहल पूरी हो गई है, इस तरह मोंगरा सिंचाई परियोजना से 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

7. गांवों में खुशहाली लाने के लिए मेरी सरकार ने ऐसे बुनियादी और अभिनव उपाय प्राथमिकता से किये हैं, जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आबादी बरसों से कर रही थी। अनुसूचित क्षेत्रों में नमक जैसी जरूरी वस्तु का अभाव एक त्रासदी ही थी। ऐसे इलाकों में नमक को शोषण का कारण और पर्याय भी माना जाता है। मेरी सरकार की मान्यता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त परिवारों की, उनकी चिरौंजी जैसी कीमती चीजों के बदले में नमक खरीदने की विवशता अतिशीघ्र समाप्त हो। प्रदेश के 85 अनुसूचित विकासखण्डों में 9,40,000 गरीब परिवारों को मात्र 25 पैसे प्रति किलो की दर पर प्रतिमाह दो किलो ''छत्तीसगढ़ अमृत'' नमक का प्रदाय गणतंत्र दिवस से प्रारंभ कर मेरी सरकार ने अपने संकल्प और कटिबद्धता को साकार किया है।

8. मेरी सरकार ने समाज को जोड़ने, आपसी समरसता बढ़ाने और जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से राज्य में 130 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्द्र शुरू कर दिये हैं, जहां 5 रूपये में दाल–भात उपलब्ध कराया जा रहा है। इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने और प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय तक ले जाने का लक्ष्य है। यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं तथा महिला स्व–सहायता समूहों की भागीदारी से किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां गांव से विकासखण्ड मुख्यालय तक पहुंचने वाले लोगों को उनकी रूचि का दाल–भात सस्ती दर पर भर–पेट उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं शहरों में मेहनतकश तबके को भी इसका लाभ मिल रहा है। समाज में बड़े–छोटे की दूरी कम कर उदार मानवीय भावनायें विकसित करने में भी यह केन्द्र कारगर साबित हो रहे हैं।

9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को परदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा और कोरिया अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में लेम्पस (आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों) के माध्यम से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम लिया जाये। इन क्षेत्रों में रियायती खाद्यान्न के दुरूपयोग की शिकायत को देखते हुए सहकारी संस्थाओं को पुनः सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख भूमिका दी जा रही है। इसमें समितियों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे और साथ ही इन समितियों की वित्तीय हालत में सुधार के लिए भी कारगर कदम उठाये जाएंगे।

10. मेरी सरकार प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, अबूझमाड़िया के सभी परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत तीन रूपये प्रति किलो की रियायती दर पर चावल प्रदान कर रही है। राज्य सरकार की पहल पर हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के निर्णय से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा।

11. मेरी सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्रहण करने वाले गरीब आदिवासी भाई–बहनों की आर्थिक समृद्धि के लिए इस वर्ष हरा तेन्दूपत्ता फड़ पर ही अग्रिम में बेचने का निर्णय लिया है, ताकि तेन्दूपत्ते के उपचारण, परिवहन और गोदामीकरण में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और उनके अनुभव का लाभ मिल सके। ऐसा करने से तेन्दूपत्ता की गुणवत्ता बढ़ेगी और इसके अच्छे दाम पर बिकने का लाभ तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बेहतर बोनस के रूप में मिलेगा। तेन्दूपत्ता संग्रहण का काम एवं संग्राहकों को तेन्दूपत्ता तोड़ाई का भुगतान प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा ही किया जाएगा।

12. मेरी सरकार ने गांव वालों की रोज–मर्रा की तकलीफों के निराकरण के लिए एक ठोस प्रणाली विकसित करने का संकल्प लिया है। इसके तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में ग्रामीण सचिवालय शुरू किए गए हैं, जहां हर सप्ताह ग्रामीणों की छोटी–बड़ी समस्यायें सुनी जायेंगी और स्थल पर ही उनका निराकरण किया जायेगा। इस सचिवालय में ग्रामीण जरूरतों से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी प्रति सप्ताह अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे। इसी तरह सभी ब्लॉक मुख्यालयों में भी समस्या निवारण शिविर आयोजित किये जायेंगे। इन उपायों से ग्रामीणों को तहसीलों, जिला मुख्यालयों तथा मंत्रालय तक के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

13. मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब परिवारों की महिलाओं को धुंआरिहित ईंधन की सुविधा देने के लिए **गृहलक्ष्मी योजना** शुरू की है। इसके तहत 50 हजार परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिये जाएंगे।

14. मेरी सरकार ने ग्रामीणों की जरूरतों की अधोसंरचना विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिसके तहत विकासखण्ड मुख्यालयों में सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना भवन बनाये जायेंगे। **निर्मला योजना** के तहत गांव के तालाबों में महिलाओं के उपयोग हेतु पृथक घाट बनाये जायेंगे। एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले कुछ गांवों में आंतरिक सड़कों का सीमेन्टीकरण किया जायेगा। गांवों के शमशान घाटों को साफ–सुथरा, सुरक्षित तथा बुनियादी सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए शमशान घाटों को मुक्तिधाम के रूप में विकसित किया जायेगा। गांवों में दो से पांच एकड़ तक की सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने और स्वस्थ पर्यावरण विकसित करने हेतु केशवकुंज योजना के तहत उद्यानों का विकास किया जायेगा।

15. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेते हुए 2007 तक सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रयासों से केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 412 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आबंटन इस वर्ष प्रदान किया है।

16. छत्तीसगढ़ के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों को विशेष योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु मेरी सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय सम विकास योजना के दायरे में राज्य के चार जिलों दंतेवाड़ा, बस्तर, कवर्धा, तथा राजनांदगांव को लिया जा चुका है। प्रत्येक जिले को अगले तीन वर्षों में विकास कार्यों के लिए 45 करोड़ रूपए इस योजना से प्राप्त होंगे। सभी 16 जिलों को इस योजना का लाभ दिलाने का आग्रह हमने केन्द्र से किया है। गांवों को गरीबी की विवशता से मुक्त कराने के लिये विश्व बैंक की सहायता से 617 करोड़ रूपए की विशेष परियोजना शुरू की जा रही है। गरीबी उन्मूलन की इस योजना में राज्य के सभी 16 जिलों से 40 विकासखंडों का चयन किया गया है और इनमें से प्रत्येक ब्लाक में 50 गांवों को चुना गया है। इनमें से प्रत्येक गांव के लगभग 50 परिवारों को, इस तरह कुल एक लाख परिवारों को, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के ठोस कदम उठाये जायेंगे।

17. गांवों और छोटी–छोटी बसाहटों के स्तर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण जरूरत है, इसलिए मेरी सरकार ने एक ओर जहां समस्यामूलक गांवों में एक हजार हैंडपंप लगाने की योजना बनाई है, वहीं दूसरी ओर राज्य की नयी ग्रामीण बसाहटों में भी आठ सौ हैण्डपम्प लगाए जाएंगे। वाटर रिचार्जिंग और बारिश के पानी को रोकने के लिए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार की जायेंगी। ग्रामीण जल प्रदाय योजना के रूप में राष्ट्रीय स्वजल–धारा योजना राज्य के सभी 16 जिलों में शुरू की जायेगी। इसके साथ ही राज्य के सभी 16 जिलों में केन्द्र सरकार की सहायता से सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।

18. मेरी सरकार ने संकल्प लिया है कि वर्ष 1993 तक वनभूमि पर काबिज आदिवासियों को भूमि के पट्टे देने के प्रयास किए जाएंगे। इस मामले में मेरी सरकार ने प्रमुखता से पहल की, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र शासन ने इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया है। इस तरह राज्य के करीब 80 हजार आदिवासी परिवारों को भूमि के पट्टे मिल सकेंगे। केन्द्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को 'क्लीयरेंस' देकर मेरी सरकार की पहल को सार्थक किया है।

19. दल्लीराजहरा–जगदलपुर (लौह अयस्क भण्डार क्षेत्र, रावघाट होते हुए) लगभग 235 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने की पर्यावरणीय स्वीकृति मिल जाने से बस्तर के सामाजिक–आर्थिक विकास के नए युग का सूत्रपात होगा।

20. मेरी सरकार के प्रयासों से एक और महत्वपूर्ण पहल छत्तीसगढ़ के वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए केन्द्र के समक्ष अपना पक्ष मजबूत ढंग से रखने की भी थी। इस प्रयास के परिणामस्वरूप राज्य के 421 वन ग्रामों में से 300 को राजस्व ग्रामों में बदलने का निर्णय केन्द्र ने लिया है, शेष के संबंध में भी शीघ्र निर्णय हो जाएगा। इस तरह छत्तीसगढ़ के इन वन ग्रामों में निवास कर रहे हजारों परिवारों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। केन्द्र शासन के नियमों में संशोधन से अब 40 हेक्टेयर भूमि तक के मामले राज्य में ही निपटाए जा सकेंगे। यह सुविधा हमारे राज्य के हजारों आदिवासी भाईयों को एक बड़ी राहत प्रदान करेगी।

21. मेरी सरकार की पहल पर बरसों से लंबित बस्तर की बोधघाट परियोजना को भी केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है। यह योजना सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि समूचे राज्य को बिजली का वरदान प्रदान करेगी। इस परियोजना से एक हजार मेगावाट क्षमता तक के जल विद्युत गृह स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

22. छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों का आवास उपलब्ध कराने हेतु 72 करोड़ रूपए की एक योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी गई है, जिसकी स्वीकृति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

23. मेरी सरकार ने वनांचलों में नक्सलवाद की समस्या को सामाजिक, आर्थिक विकास के जरिये हल करने का दृष्टिकोण अपनाया है। इन प्रयासों के साथ ही दिग्भ्रमित युवाओं को लोकतंत्र की मूल धारा में लौटने को प्रेरित भी किया जायेगा।

24. मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में शुद्धता लाने, उसे व्यावहारिक और रोजगारपरक बनाने के चहुंमुखी प्रयास शुरू किए हैं। व्यावहारिक कठिनाई के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र को पूर्ववत् जुलाई से अप्रैल तक कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में 4,652 शिक्षा गारंटी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें प्राथमिक स्कूलों और 634 प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर मिडिल स्कूलों में बदला जा रहा है। 15 हजार स्कूलों में पेयजल और शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार विशेष योजना के तहत 1,698 प्राथमिक स्कूलों में हैण्डपम्प लगाने की तैयारी की जा रही है।

25. मेरी सरकार उच्च शिक्षा की उपयोगिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी हर संभव कदम उठाएगी। निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिनियम में परिवर्तन किया जा रहा है एवं व्यावहारिक नियम बनाये जा रहे हैं।

26. मेरी सरकार ने विद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं की सुरक्षा को भी एक जरूरी विषय माना है।इस दिशा में एक नई सोच के साथ,सरकारी शालाओं और महाविद्यालयों के 43 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क दुर्घटना बीमा का कवच उपलब्ध कराया जा रहा है।

27. राज्य की नई पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद की गतिविधियां, अवसर और सुविधाएं बढ़ाने के लिए मेरी सरकार कृतसंकल्प है। राजधानी रायपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों में यूथ हॉस्टल के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। रायपुर में राज्य स्तरीय खेल परिसर का निर्माण किया जायेगा तथा अन्य जिलों में भी सुविधायुक्त खेल परिसर विकसित किए जाएंगे। खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए एक विशेष अभियान चलाया जायेगा।

28. मेरी सरकार राज्य में बहुआयामी विकास के द्वारा शासकीय तथा गैर–शासकीय क्षेत्रों, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय में रोजगार के नए अवसर विकसित करने के प्रयास कर रही है। साथ ही बेरोजगारी से परेशान युवाओं को भी राहत देने के अपने संकल्प को पूरा कर रही है। गरीबी रेखा के नीचे के बारहवीं पास बेरोजगारों को 1 अप्रैल 2004 से 500 रूपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा उन बेरोजगारों को दी जायेगी जिनका नाम दो वर्षों से रोजगार कार्यालय में पंजीबद्ध है।

29. मेरी सरकार शहरों में स्वच्छ पर्यावरण तथा सुनियोजित विकास की हिमायती है। नियोजित विकास के लिए तथा पर्यावरण की दृष्टि से जरूरी कुछ व्यवसायियों के समूहों को शहर के बाहर सुव्यवस्थित रूप से बसाना जरूरी है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गोकुल नगर योजना के तहत डेयरियों को शहर के बाहर बसाने का कार्य शुरू किया है। यह कार्य राज्य के सभी दस नगर निगम क्षेत्रों में किया जा रहा है। शहरों में यातायात को सुगम बनाने तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए ही राज्य के सभी दस नगर निगम क्षेत्रों में शहर के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाएंगे। इन ट्रांसपोर्ट नगरों में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जायेंगी।

30. गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले शहरी गरीबों को व्यवस्थित और पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने अटल आवास योजना प्रारंभ की है। इसके तहत 60 हजार रुपये की लागत के पक्के आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। पहले चरण में पूरे राज्य में 33 सौ आवास बनाये जा रहे हैं। इनके लिए 30 हजार रुपये का लंबी अवधि का ऋण तथा शेष 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को 10 रुपये रोजाना की किश्त ही देनी होगी।

31. मेरी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने तथा उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों को सुविधाजनक बाजार उपलब्ध कराने के लिए महिला समृद्धि बाजार विकसित कर रही है। इन बाजारों से स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा जायेगा। राज्य के प्रत्येक जिले में विकसित होने वाले इस बाजार के लिए पहले चरण में एक हजार दुकानें बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

32. मेरी सरकार शासकीय कर्मचारियों की जायज मांगों और सुविधाओं के प्रति संवेदनशील है। वृत्तिकर की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका लाभ एक लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किश्त के रुप में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

33. शिक्षाकर्मी हालांकि पंचायतों के कर्मचारी हैं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मेरी सरकार ने उनके हित में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शिक्षाकर्मी की मृत्यु की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी। यदि मृतक के परिवार का कोई सदस्य नियमानुसार पात्रता नहीं रखता तो उसे तीन साल तक का समय पात्रता हासिल करने के लिए दिया जायेगा यह नियुक्ति शिक्षाकर्मी की तरह ही होगी। शिक्षाकर्मी पति–पत्नी को एक स्थान पर रखने के आधार पर स्थानांतरण की सुविधा भी दी जायेगी। प्रत्येक वर्ग के शिक्षाकर्मी के वेतन में 100 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है, जो 1 अप्रैल, 2004 से लागू हो जाएगी।

34. मेरी सरकार ने राज्य में चिकित्सा की अत्याधुनिक और नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉ. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में ट्रामा यूनिट, ब्रेकी थैरेपी यूनिट, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक, बायो–टेकनालॉजी सेंटर, गॉयनेकोलॉजी ऑपरेशन थियेटर की सुविधाएं प्रारंभ की है। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के लिए सभी जरुरी सुविधाओं से परिपूर्ण एक नया भवन परिसर शीघ्र तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

35. मेरी सरकार ने राज्य में आवास समस्या की गंभीरता को देखते हुए गृह निर्माण मंडल का गठन करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से आम लोगों को मकान खरीदने में होने वाले धोखे से बचाया जा सकेगा और उन्हें शासकीय उपक्रम के द्वारा निर्मित गुणवत्तायुक्त मकान उचित दरों पर प्राप्त हो सकेंगे।

36. सरकार ने करों की दरों के बारे में कुछ ऐसे फैसले किए हैं, जिनके परिणामस्वरुप आम जनता को उनकी रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गृहस्थी के उपयोग में आने वाली विभिन्न तरह की सामग्रियों में वाणिज्य करों की दरें कम करने से चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिसका लाभ सीधे–सीधे जनता को मिलेगा। एक आकलन के अनुसार एक सामान्य परिवार को इससे लगभग 400 रुपए की मासिक बचत होगी। रसोई गैस के प्रति सिलेण्डर में ही 9 रुपये की बचत होगी।

37. सरकार द्वारा वाणिज्यिक करों में कमी के निर्णय से आम उपभोग की वस्तुएं अनाज, दलहन, गुड़ दो प्रतिशत के कर से मुक्त हो गई हैं। खाद्य तेल तथा सभी प्रकार के किराना सामान पर करभार 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत, प्रदेश के बाहर से आयातित किराना वस्तुओं पर देय मंडी टैक्स 2 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत, देशी घी, मिल्क पावडर, लूज चाय तथा प्रांत के अंदर पैकिंग की गई चाय, कुक्ड फूड में

8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत, स्टेशनरी सामान, सिलाई मशीन, हैंड पंप तथा इसके स्पेयर पार्टस, स्प्रिंकलर सिस्टम तथा स्पेयर पार्टस, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, एल्यूमिनियम वायर, लाईम, ट्रांसफार्मर एवं एस्फाल्टिक रुफिंग में 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत हो गया है।

38. वाणिज्यिक कर की दरों में युक्तियुक्तकरण के तहत कुकिंग गैस, बेकरी गुड्स, केक पेस्ट्री पर कर–भार 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत, सेनेटरी वेयर, फोम, पेंट्स तथा कलर, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत, आर.सी.सी. ह्यूम पाईप तथा विस्फोटक 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत, केल्कुलेटर तथा टाईपराईटर 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है। इन युक्तियुक्तकरण से कर अपवंचन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा तथा आम उपभोक्ताओं को राहत भी मिलेगी।

39. मेरी सरकार द्वारा लिए गए प्रवेश कर में राहत देने के फैसले से वनस्पति एवं देशी घी पर 0.5 प्रतिशत कर एवं सरचार्ज, नारियल पर प्रचलित 1 प्रतिशत कर, सिलाई मशीन पर प्रचलित 0.5 प्रतिशत कर, राज्य के बाहर से आयातित आटा, मैदा एवं सूजी पर प्रचलित 5 प्रतिशत कर, राज्य के बाहर से आयातित एच.पी.पी.ई. बैग्स पर प्रचलित 5 प्रतिशत कर समाप्त हो जायेगा।

40. सरकार द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया के सरलीकरण के फैसले से रेडीमेड गारमेंट, होजियरी एवं कुक्ड–फूड में व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों का राहत मिलेगी।

41. मेरी सरकार द्वारा वार्षिक टर्नओवर सीमा बढ़ाने के फैसले से लायसेंस प्राप्त करने के लिए प्रचलित वार्षिक टर्नओवर सीमा रु. 7 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई है। इसी तरह कुक्ड फूड पर लायसेंस शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी है। रेडीमेड वस्त्र एवं होजियरी पर लायसेंस शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है।

42. सरकार ने 25 लाख रुपये तक वार्षिक टर्नओवर के व्यवसायियों को त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने एवं कर निर्धारण से मुक्ति दे दी है। वहीं नये पंजीकृत व्यवसायियों को मासिक विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी है। वर्तमान व्यवस्था में दो वर्ष तक मासिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जबकि नई व्यवस्था के तहत वे अन्य व्यवसायियों की तरह त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे।

43. उद्योगों के लिए भी सरकार ने सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की है। रोलिंग मिलों द्वारा निर्मित रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स पर प्रांतीय एवं केन्द्रीय विक्रय कर की समान दर 2 प्रतिशत, प्रदेश में लघु उद्योग द्वारा निर्मित माल का उपयोग दूसरे लघु उद्योग द्वारा निर्माण प्रक्रिया में करने पर तथा अगरबत्ती निर्माण में उपयोग में आने वाले कच्चे माल पर लागू 1 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया गया है। सिनेमा घरों में दिखाये जाने वाले स्लाइड एव शार्ट्स पर विज्ञापन शुल्क समाप्त किया गया है। हाऊसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए

मकान निर्माण हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर इक्वीटेबल मार्टगेज पर देय पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.10 प्रतिशत किया गया है। स्व–सहायता के अंतर्गत कार्यरत महिला समूहों द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त करने पर देय स्टॉम्प शुल्क समाप्त किया गया है।

44. व्यापार–व्यवसाय की प्रक्रियाओं के सरलीकरण और करों के युक्तियुक्तकरण के उपरोक्त उपायों के कारण व्यापार–व्यवसाय तथा उद्योग जगत में उत्साह का वातावरण बना है। मेरा मानना है कि यह वातावरण राज्य को आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाईयों पर पहुंचाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी निर्मित करेगा।

45. मेरी सरकार द्वारा राज्य में सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने व विशेषकर कमजोर तबकों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में पहले से कार्यरत 31 फास्ट ट्रेक कोर्ट को जरुरी सुविधा देने के साथ ही 100 नए फास्ट ट्रेक कोर्ट शुरु करने के प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजे गए हैं। राज्य का दूसरा परिवार कल्याण न्यायालय बिलासपुर में शुरु करने के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटायी जा रही हैं, वहीं प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण न्यायालय खोलने के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गए हैं।

46. छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज संसाधनों के भंडारों को मेरी सरकार सिर्फ गौरव का विषय नहीं मानती, अपितु इनके समुचित दोहन से राज्य की जनता और स्थानीय आबादी की समृद्धि का जरिया विकसित करने को अपना कर्त्तव्य मानती है। खनिज क्षेत्र में अधिकतम निवेश सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने 24011 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए 15 रिकोनेसेन्स परमिट केन्द्र शासन से प्राप्त किए हैं। नए उपायों से राज्य का खनिज राजस्व भी बढ़ेगा, वेल्यूएडीशन भी होगा और जनता की समृद्धि के नए रास्ते बनेंगे।

47. प्राकृतिक संसाधनों के वेल्यूएडीशन के लिए मेरी सरकार एक ओर जहां कृषि उत्पादों से लेकर इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेन्ट, वनौषधि, हस्तशिल्प तथा पर्यटन तक हर संभावित उद्योग विकसित करने के इंतजाम कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा उद्योग का विकास भी जन कल्याण की भावना से करना चाहती है।

48. बिजली उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य कटौती रहित बिजली वाजिब दरों पर प्रदान करना है। बिजली की रोशनी से वंचित बसाहटों तथा गांवों को तत्काल विद्युतीकरण करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। दो सौ गांवों और चार सौ मजरा टोलों को तो 100 दिन के भीतर ही विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। एक हजार घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी और दो हजार घरों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए किए जाएंगे। 7500 पम्पों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली के पारेषण और वितरण तंत्र के विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

49. मैं गौरव के साथ यह कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार ने अपने संकल्पों और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में समुचित कदम उठाये हैं। सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास की रणनीति अपनाकर ही राज्य की दो करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। गांवों से लेकर शहर तक, हर जगह, हर वर्ग के निवासियों की समृद्धि से ही राज्य की समृद्धि को सकती है। मैं आप सब जनता के नुमाइंदों से आग्रह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में समरसता के साथ विकास का जो नया सफर शुरु हुआ है, उसे शिखर तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें।

जय हिन्द । जय छत्तीसगढ़ ।